

न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 02/2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का लेसवा

बनाम

हेमराज पुत्र रामेश्वर यादव नि. लेसवा

(अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956)


निर्णय दिनांक 07.10.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का लेसवा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2079 में ग्राम लेसवा खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.44 किस्म बारानी 2 तथा खसरा नम्बर 1497 रकबा 0.26 किस्म बारानी 2 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 01 में राज. सरकार के नाम दर्ज है, पर चरी बाजरा काशत कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट से आश्वस्त होकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 07.10.2022 को उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अप्रार्थी ने भी दिनांक 07.10.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जावे तथा भूमि का कब्जा राजहित में लिया जावे। दण्ड स्वरूप वार्षिक कुल लगान 3.5/- का 50 गुना 175/- रुपये (एक सौ पिचेत्तर रुपये मात्र) कायम की जाती है। शास्ति राशि की वसूली, बेदखली/जब्ती/निलामी की कार्यवाही हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक नान्द एवं पटवारी हल्का लेसवा तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार को पत्रावली मांग कायमी हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार पुष्कर
जिला (अजमेर)
तहसीलदार
पुष्कर (अजमेर)